प्रस्तावना

विहंगावलोकन

पात्र संस्थाओं को स्थायी लेखा संख्या (पैन) का सत्यापन करने की सुविधा देने के लिए आयकर विभाग (आईटीडी) ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा पैन के सत्यापन के लिए ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया है. निम्नलिखित संस्थाएं इस सुविधा का उपयोग कर सकती है :

- सरकारी एजेंसियां (केन्द्रीय / राज्य)
- भारतीय रिजर्व बैंक
- बैंक
- डिपॉजिटरी सहभागी
- म्यूचुअल फंड
- कंपनियां (जिनसे वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है)
- क्रेडिट कार्ड कंपनियां / संस्थाएं
- कोई अन्य संस्था जिससे वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है
- स्टॉक एक्सचेंज
- कंपनियां तथा सरकारी कटौतीकर्ता (जिनसें टीडीएस / टीसीएस विवरणी फाइल करना अपेक्षित है.

सेवा

इस सेवा में सत्यापन के तीन तरीके हैं :

(1) स्क्रीन आधारित सत्यापन
(2) फाइल आधारित सत्यापन
(3) सॉफ्टवेयर (एपीआई) आधारित सत्यापन

(1) स्क्रीन आधारित सत्यापन :

प्रयोक्ता लॉगइन के बाद दिये गये स्क्रीन मे अधिकतम पांच पैन प्रस्तुत कर सकते हैं. पैन स्क्रीन में दिये गये बॉक्स में एंटर किये जाएं और उसके बाद प्रस्तुत (submit) किये जाएं. पैन का विवरण देते हुए प्रत्युत्तर रिस्पांस स्क्रीन में दिखाई देगा.

(2) फाइल आधारित सत्यापन :

प्रयोक्ता लॉगइन के बाद अधिकतम 200 पैन से युक्त एक फाइल (एनएसडीएल द्वारा निर्दिष्ट रूप में फाइल संरचना) अपलोड कर सकते हैं. साइट चौबीस घंटे के भीतर पैन के विवरण से युक्त एक रिस्पांस फाइल उपलब्ध करायेगी. यदि फाइल फॉर्मेट सही नहीं है, सिस्टम 24 घंटे के भीतर अस्वीकृति सूचित करेगा. संस्था अपनी सुविधानुसार 15 दिन तक डाउनलोड कर सकती है.

(3) सॉफ्टवेयर (एपीआई) आधारित सत्यापन :

यह सुविधा एक इंटरफेस है जो प्रयोक्ता को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से सत्यापन साइट में जाकर पैन का ऑनलाइन सत्यापन करने की अनुमति देता है.

प्रयोक्ता को प्रत्युत्तर (रिस्पांस):

- वैध पैन के मामले में, पैनधारक का नाम, आईटीडी डेटाबेस के अनुसार पैन अद्यतन की पिछली तारीख और "विद्यमान तथा वैध" के रूप में स्थिति प्रदर्शित होगी. यदि पैन आईटीडी डेटाबेस के अनुसार जाली पैन है तो स्थिति "जाली पैन" के रूप में दिखाई देगी.
- यदि पैन डेटाबेस में नहीं पाया जाता है तो प्रत्युत्तर "आईटीडी डेटाबेस में नहीं" होगा. ऐसे मामलों में यदि प्रयोक्ता इस पैन का प्रमाण (पैन कार्ड या पैन आबंटन पत्र की प्रति) प्रस्तुत करता है तो एनएसडीएल उसे जांच के लिए आईटीडी को भेजेगा.